न्यूज़ इनबॉक्स

नक्सलियों को चीन का समर्थन नहीं

बीजिंग | चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह भारत में माओवादी या नक्सली आंदोलन को किसी भी तरह से समर्थन या सहयोग नहीं दे रही है। उसने यह भी कहा कि इन संगठनों से उसका कोई संपर्क नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के शीर्ष अधिकारी तथा उपमंत्री आई पिंग ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी किसी भी सरकार को हटाने के लिए हिंसक तरीके अपनाए जाने का विरोध करती है।

देश में 70 हजार बच्चे एचआईवी संक्रमित

कोलकाता | देश में करीब 70 हजार बच्चे एचआईवी से पीड़ित हैं। अधिकतर बच्चों को यह बीमारी उनके माता-पिता से मिली है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। यह जानकारी यहां आयोजित एक सेमिनार में दी गई। इसमें यूनिसेफ की राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसाइटी के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में उन्होंने कहा कि नाको के आंकड़ों के अनुसार कुछ बच्चों में एचआईवी असुरक्षित इंजेक्शन के इस्तेमाल और रक्त संक्रमण की वजह से होता है।

तमिलनाडु में मुफ्त टीवी स्कीम बंद

चेन्नई | जयललिता सरकार ने तमिलनाडु में शुक्रवार को करुणानिधि के शासनकाल की मुफ्त टीवी स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत पिछले पांच सालों में 3600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस दौरान कुल 1.60 करोड़ टीवी सेट बांटे गए। टीवी सेटों के लिए लोगों ने केबल कनेक्शन लगाए। इसके लिए उन्होंने सालाना 4000 करोड़ रुपए अदा किए। जयललिता ने केबल टीवी बिजनेस का राष्ट्रीयकरण करने का ऐलान करते हुए कहा, 'केबल कनेक्शन का बिजनेस करुणानिधि के पोते संभालते हैं। इस योजना पर जितना खर्च किया गया उससे कहीं ज्यादा करुणानिधि के परिवार ने कमा लिए।'

'डांस' पर सुषमा अपनी ही पार्टी के निशाने पर

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांताकुमार ने जताया एतराज

भास्कर न्यूज नेटवर्क | इंदौर

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने शुक्रवार को अपनी ही पार्टी और आला नेताओं के खिलाफ जमकर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज द्वारा बापू की समाधि पर नाचने को लेकर उन्होंने कड़ा एतराज जताया। वे बोले, दिल्ली में राजघाट पर जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। इस कारण पार्टी का अनशन मुद्दे से भटक गया। उन्होंने बाबा रामदेव द्वारा सेना निर्माण के इरादे को भी गलत बताया। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार में कालाधन वापस लाने की ताकत नहीं है। भाजपा के किसी नेता का नाम काले धन की सूची में है, तो सरकार सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करे। यहां पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए शांता कुमार ने काले धन को वापस लाने का आंदोलन संघ-भाजपा का नहीं, बाबा रामदेव का है। मुझे मलाल इस बात का है कि जो काम राजनीतिक दलों को करना था, वह संन्यासी को करना पड़ा। यह राजनीति की विफलता है। केंद्र सरकार और कांग्रेस को कोसते हुए उन्होंने कहा, इस सरकार के रहते विदेशों में जमा काला धन भारत नहीं आ सकता।

अन्ना की 'इच्छा' पर केंद्र ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अन्ना हजारे के बयान की आलोचना की है। इसमें उन्होंने कहा था कि यदि 15 अगस्त तक लोकपाल का गठन नहीं हुआ तो वे 16 अगस्त से पुनः आंदोलन करेंगे। केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि अन्ना द्वारा आंदोलन की बात करना और सरकार की नीयत पर संदेह करना अनुचित है। सरकार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के प्रति पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि कानून का निर्माण 'इच्छा' नहीं बल्कि एक कठिन प्रक्रिया है।

एक मोबाइल कॉल करवा सकता है विमान दुर्घटना

एजेंसी | लंदन. अगली बार आप विमान में यात्रा करें तो छिपकर भी मोबाइल फोन से कॉल करने की कोशिश नहीं करें। इंजीनियरों और पायलटों की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ते विमान से मोबाइल फोन पर किया गया एक कॉल भी विमान को दुर्घटनाग्रस्त करवाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह साल में 74 विमान हादसे मोबाइल फोन पर किए जाने वाले कॉल्स के कारण हुए हैं। एक मामले में तो बोइंग 747 विमान ने 4500 फीट की ऊंचाई पर ऑटो पायलट पर काम करना बंद कर दिया। फ्लाइट स्टीवर्ड ने इसका कारण तलाशना शुरू किया तो देखा कि चार यात्री अपने इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कर रहे थे। जैसे ही इन्हें स्विच ऑफ करवाया गया, ऑटो पायलट काम करने लगा।

इसीलिए है रोक

विमान की उड़ान के दौरान फोन का उपयोग करने पर रोक है। इसका मुख्य कारण यही है कि कॉल की फ्रीक्वेंसी विमान के उपकरणों की फ्रीक्वेंसी में बाधा डालती है।

पहले माना जाता था कि मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसी विमान से विमान के बीच संचार उपकरणों तथा विमान और जमीन से संपर्क में अड़चन डालते हैं। नए उपकरणों में ऐसा नहीं है, लेकिन रोक बरकरार है।

शशि थरूर ने किया काशी मरणान्मुक्ति के द्वितीय संस्करण का विमोचन

भास्कर न्यूज नेटवर्क | नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में उपन्यास काशी मरणान्मुक्ति के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया।

इस मौके पर पुस्तक के लेखक मनोज ठक्कर व रश्मि छाजेड़ तथा प्रकाशन संस्थान शिव ॐ साई प्रकाशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। थरूर ने इस मौके पर कहा कि हिंदू दर्शन पर आधारित उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया जाना चाहिए। इस उपन्यास में मानव की मोक्ष यात्रा की अभिव्यक्ति है। थरूर में अपने ट्वीट में भी उपन्यास के बारे में लिखा है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, चूरू

फोन नं. 01562-250594, फैक्स 01562-255983, ई-मेल pd-chu-rj@nic.in

क्रमांकः महानरेगा/स.कार्य.अधि./2011-1606-14 — दिनांकः 24.05.2011

विज्ञप्ति

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 10 (9) ग्रावि/नरेगा/सहा. कार्य.अधि./10 दिनांक 29.04.2011 के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के पद पर संविदा के आधार पर पंचायत समिति स्तर पर पद स्थापन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैंः-

शैक्षणिक योग्यता	(1) एम.बी.ए. (2) ग्रामीण प्रबंधक के अभ्यर्थी को प्राथमिकता (3) योजनांतर्गत पूर्व में जो आवेदक संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संतोषजनक कार्य कर चुके हैं, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। (4) बिंदु संख्या तीन के अतिरिक्त आवेदकों के द्वारा यदि DOEACC Society से कम्प्यूटर में "O"-Level कोर्स किया हुआ है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
पदों की संख्या	5
आरक्षण	(1) पं. स. राजगढ़, सरदारशहर एवं चूरू- सामान्य महिला, (2) पं. स. रतनगढ़ सामान्य (पुरुष)
मानदेय	पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी के पद संविदा पर कार्यरत रहे याचिकाकर्ताओं को 15000/- प्रतिमाह तथा अन्य आवेदकों को प्रारंभ में 13000/- रुपए प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
शर्तें	1. पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी के पद संविदा पर कार्यरत रहे याचिकाकर्ताओं को तथा अन्य आवेदक जिन्होंने DOEACC Society से कम्प्यूटर में "O"-Level कोर्स नहीं किया हुआ है उनको नियुक्ति के चार माह में राजस्थान नोलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स आवश्यक रूप से उत्तीर्ण करना होगा। 2. अन्य आवेदकों द्वारा चार माह की अवधि में राजस्थान नालेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात ही 15000/- रुपए प्रतिमाह मानदेय देय होगा। 3. यह संविदा पद पूर्णतया अस्थाई है। 4. आवेदन आरक्षित पंचायत समिति के अनुसार ही किए जाने है तथा आवेदक को किसी एक पंचायत समिति की प्राथमिकता आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी।

प्रथम अनुबंध अवधि दिनांक 29.02.2012 तक होगी, संविदाकर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाए जाने पर ही उनकी संविदा अनुबंध अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी। सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर बिना किसी कारण के अनुबंध सेवाएं समाप्त करने का अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर के पास होगा।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन साधे कागज पर प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ दिनांक 17.06.2011 को सायं 6.00 बजे तक अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरू के कार्यालय में रजिस्टर्ड पत्र या स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर चूरू

डीआईपीआर/सी/5002/11

कार्यालय नगर सुधार न्यास, भरतपुर

क्रमांक : लेखा/II/3458-70 — दिनांक : 10.06.11

निविदा सूचना सं. - 04/2011-12

माननीय अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, भरतपुर की ओर से निम्न कार्यों की मोहरबंद निविदाएं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं कार्य के सामने अंकित तिथि को अपराह्न 2.00 बजे तक न्यास भरतपुर में विक्रय की जाकर कार्य के सामने अंकित तिथि को 3.00 बजे अपराह्न तक न्यास भरतपुर में प्राप्त की जाकर उपस्थित संवेदकों/फर्मों के सामने 3.30 बजे खोली जावेगी। शर्तें निविदा में मान्य नहीं होगी। आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 की समस्त शर्तें लागू होगी। निविदा विक्रय शुल्क के साथ धरोहर राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट (जो संवेदक के स्वयं की तरफ से तैयार हो) से जमा करानी होगी। जिसके बिना निविदा दरें मान्य नहीं होगी। दरें चार माह के लिए मान्य होगी। निविदा विक्रय तिथि व निविदा प्राप्ति तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को निविदाएं प्राप्ति व विक्रय की जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदा की अन्य शर्तों की जानकारी कार्यालय में की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं खोलने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	यातायात चौराहे पर वाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य	2.06	4120	200	21.06.11	22.06.11	दो माह
2	दीनदयाल नगर में पार्क का विकास कार्य	8.79	17580	200	21.06.11	22.06.11	तीन माह
3	कलैक्ट्रेट भरतपुर में रिकॉर्ड रूम का निर्माण कार्य	16.79	33580	500	27.06.11	28.06.11	चार माह
4	शिव नगर में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	18.97	37940	500	27.06.11	28.06.11	चार माह

अधिशाषी अभियन्ता
नगर सुधार न्यास, भरतपुर

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, झुंझुनूं

क्रमांक : 1886-89 — दिनांक : 10.6.11

विज्ञप्ति

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3) राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 10 (9) ग्रावि/नरेगा/सहा.कार्य.अधि./10 जयपुर दिनांक 29.4.11 से जारी निर्देशों के क्रम में झुंझुनूं जिले की पंचायत समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत सहायक कार्यक्रम अधिकारी के संविदा पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्रं. सं.	पदनाम	पंचायत समिति का नाम	आरक्षित वर्ग	पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
1.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी (संविदा)	अलसीसर	सामान्य पुरुष	1	15000/- रु. प्रतिमाह एकमुश्त	1. एम.बी.ए. 2. ग्रामीण प्रबंधन में एम.बी.ए. को को प्राथमिकता दी जावेगी। 3. योजनांतर्गत पूर्व में जो आवेदक संविदा पर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर संतोषजनक कार्य कर चुके है और निर्धारित योग्यता रखते हैं, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।
		बुहाना	अपिव (महिला)	1		
		चिड़ावा	अनु. जाति (पुरुष)	1		
		झुंझुनूं	अनु. जाति (पुरुष)	1		
		खेतड़ी	सामान्य (पुरुष)	1		
		नवलगढ़	अनु. जाति (पुरुष)	1		
		सूरजगढ़	अपिव (महिला)	1		
		उदयपुरवाटी	अनु. जाति (पुरुष)	1		

शर्तेंः 1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम लागू होगे।, 2. न्यूनतम आयु 1.1.2011 को 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए।, 3. चयन मैरिट/साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा तथा आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है।, 4. उक्त सेवाएं पूर्णरूपेण अनुबंध पर आधारित है एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2012 तक पदों की स्वीकृति दी गई है। अतः अनुबंध अवधि समाप्ति अथवा दिनांक 28.2.12 (दोनों में से जो भी पहले हो) सेवा स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।, 5. चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।, 6. सेवाएं अंसतोषप्रद पाये जाने पर सेवादाता अभ्यर्थी का अनुबंध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।, 7. पदों की संख्या में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।, 8. अभ्यर्थी के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय अधोहस्तारकर्ता का ही मान्य होगा तथा न्यायिक/विधिक परिक्षेत्र झुंझुनूं शहर के अध्यधीन रहेगा।, 9. आवेदन निर्धारित प्रारुप में ए-4 साईज में ही स्वीकार किये जायेगे।, 10. आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थियों को 250/- रु., अन्य पिछड़ा वर्ग 150/- रु. एवं अनु. जाति/अनु. जनजाति/विकलांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 50/- रु. का डीडी/पोस्टल ऑर्डर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर झुंझुनूं के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।, 11. समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां (मूल निवास एवं जन्म तिथि के प्रमाण सहित) साथ संलग्न करना अनिवार्य है।, 12. आवेदन पत्र दिनांक 28.6.11 को सायं 6 बजे तक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), झुंझुनूं में पहुंच जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।, 13. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं राज्य सरकार के विस्तृत दिशा निर्देश वैबसाईट Jhunjhunu.nic.in पर उपलब्ध है।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनूं